

वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है जनपद सम्मल में मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग एन0एच0-509 (पुराना एन0एच0-93) बांयी पटरी चैनेज 192.320 से चैनेज 197.450 (5130मी0), बदायूँ-चन्दौसी मार्ग (एस0एच0-43) बांयी पटरी चैनेज 42.000 से 44.170 (2170 मी0), तक 4" भूमिगत स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.438 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी,सम्मल के कार्यालय में प्रेषित किया जा चुका है, प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित किया जायेगा।



मेनेजर

टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0